



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.08.2022

**1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाला एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 02.08.2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0स0 928/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र रामबीर सिंह निवासी हनुमान कालोनी गोले का मन्दिर कस्बा ग्वालियर थाना गोले का मन्दिर जिला ग्वालियर म0प्र0 वर्तमान पता रोडी के प्लांट के पास शलेन्द्र सिंह का मकान कुलेसरा थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर को निराला ग्रीन शायर सोसायटी के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया है।

**अभियुक्त का विवरण:**

नरेन्द्र पुत्र रामबीर सिंह नि0 हनुमान कालोनी गोले का मन्दिर कस्बा ग्वालियर थाना गोले का मन्दिर जिला ग्वालियर म0प्र0 वर्तमान पता रोडी के प्लांट के पास शलेन्द्र सिंह का मकान कुलेसरा थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0स0 928/2021 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर



**2- थाना कासना पुलिस द्वारा कन्टेनर चालक से डकैती की घटना को अजांम देने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 01-08-2022 को थाना कासना पर पंजीकृत मु0अ0स0- 543/21 धारा 395/412/120 बी भादवि0 वांछित चल रहे डकैती/लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त 1 अभियुक्त शारिफ पुत्र समशुद्दीन निवासी 1024बी,

प्रथम तल सुदामापुरी न्यू जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली को दौराने चौकिंग डाढा से सिरसा गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

### अभियुक्त का विवरण-

शारिफ पुत्र समशुद्दीन निवासी 1024ठ, प्रथम तल सुदामापुरी न्यू जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली

### पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0- 543/21 धारा 395/412/120 बी भादवि0 थाना कासना गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 182/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कासना गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 48/2019 धारा 302/201 भादवि थाना बारखम्बा दिल्ली

### बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर



**3-थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा, चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 02 गैस सिलेन्डर, 01 टेबल फैन, 01 मिक्सी, 01 जार स्टील, 600 रु0 नकद, 01 अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 02.08.2022 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा चोटपुर कालोनी के एक मकान में चोरी करने वाला अभियुक्त संजय शा पुत्र महेन्द्र शा निवासी वार्ड नं0-03 कस्बा शिवहर थाना कोतवाली शिवहर जनपद शिवहर (बिहार) वर्तमान चारमूर्ती पुलिया के पास झुग्गी झोपड़ी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 गैस सिलेन्डर, 01 टेबिल फैन, 01 मिक्सी, 01 जार स्टील, 600 रु0 नकद एवं 01 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

### अभियुक्त का विवरण:

संजय शा पुत्र महेन्द्र शा निवासी वार्ड नं0-03 कस्बा शिवहर थाना कोतवाली शिवहर जनपद शिवहर (बिहार) वर्तमान चार मूर्ती पुलिया के पास झुग्गी झोपड़ी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

### पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0 282/2022 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 283/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 0120/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर

4. मु0अ0स0 0121/22 धारा 401/414 भादवि0 थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण:

1. 02 गैस सिलेन्डर
2. 01 टेबल फैन
3. 01 मिक्सी
4. 01 जार स्टील
5. 01 अवैध चाकू
6. 600 रु0 नकद



### 4-थाना इकोटेक-1 पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2022 को थाना इकोटेक-1 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/2022 धारा 302/201 भादवि0 के अंतर्गत नामजद/प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त फिरोज पुत्र जैनुला अंसारी निवासी ग्राम लद्दी पश्चिम टोला थाना गोरिया कोठी जिला शिवान राज्य बिहार वर्तमान पता ग्राम लुक्सर जिला गौतमबुद्धनगर को ओपपो कम्पनी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 20.07.2022 को थाना इकोटेक-1 को ग्राम पुवारी से ग्राम दादूपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर जंगल में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुयी। अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु पम्पलेट व फोटो प्रसारित किये गये काफी प्रयासों के उपरान्त दिनांक 21.07.2022 को अज्ञात शव की शिनाख्त उसकी माता ने अपने सचिन पुत्र टेकचन्द शर्मा बुराडी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष के रूप में की गयी। मृतक के भाई तनुज शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इकोटेक पर दिनांक 22.07.2022 को मु0अ0सं0 84/2022 धारा 302/201 भादवि0 बनाम 1. गौतम 2. फिरोज पुत्र नामालूम नि0 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। विवेचना के क्रम में 1. गौतम पुत्र चन्द्रभान 2. दीपक पुत्र चन्द्रभान 3. प्रशान्त पुत्र विजय उर्फ विज्जू नि0 गण ग्राम हतेवा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर (पूर्व में जेल भेजा जा चुका है) 4. फिरोज पुत्र जैनुला अंसारी नि0 ग्राम लद्दी पश्चिम टोला थाना गोरिया कोठी जिला शिवान राज्य बिहार वर्तमान पता ग्राम लुक्सर जिला गौतमबुद्धनगर के नाम प्रकाश में आये।

अभियुक्त ने हत्या का कारण गौतम व सचिन की पुरानी रंजिश तथा फिरोज व गौतम का मृतक सचिन की पत्नी की तरफ एकतरफा लगाव होना बताया। अभि0 गौतम के द्वारा अपने साथी प्रशान्त व दीपक व फिरोज के साथ मिलकर उसे

शराब पिलाकर ग्राम हतैवा के बाग मे ले जाकर सचिन के सर व छाती पर सीमेन्ट की ईट मारकर उसकी हत्या कर दी गयी तथा हत्या करके शव को छिपाने के लिये ग्राम पुवारी के जंगल मे फैंक दिया था ।

### अभियुक्त का विवरण:

फिरोज पुत्र जैनुला अंसारी निवासी ग्राम लद्दी पश्चिम टोला थाना गोरिया कोठी जिला शिवान राज्य बिहार हाल पता ग्राम लुक्सर जिला गौतमबुद्धनगर ।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 84/2022 धारा 302/201 थाना इकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर



### 5-थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 रक्त लगा अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 02.08.2022 को थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 318/22 धारा 307/120बी भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त विशाल उर्फ टीटू पुत्र कंवर सिंह निवासी ग्राम सिरसा थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी सुभाष पुत्र फिरेराम का मकान ग्राम जौन समाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर को खैरपुर गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू रक्त लगा हुआ बरामद हुआ है।

अभियुक्त विशाल उर्फ टीटू उपरोक्त द्वारा अपने साथी कुनाल पुत्र अजब सिंह नि0 ग्राम जौन समाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर के साथ षडयन्त्र रचकर दिनांक 31.07.2022 को रात्रि 10.30 बजे वादी श्री सतवीर पुत्र रिछपाल सिंह निवासी ग्राम जौन समाना थाना बादलपुर गौ0बु0नगर के पुत्र मोहित को जान से मारने की नियत से गले पर चाकुओ से ताबडतोड वार करके गम्भीर रूप से घायल करके भाग मौके से भाग गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना इकोटेक-3 पर मु0अ0सं0 318/22 धारा 307/120बी भादवि पंजीकृत हैं।

### अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त विशाल उर्फ टीटू पुत्र कंवर सिंह नि0 ग्राम सिरसा थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी सुभाष पुत्र फिरेराम का मकान ग्राम जौन समाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1.मु0अ0सं0 318/22 धारा 307/120 बी भादवि थाना इकोटेक -3 जिला गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0 319/22 धारा 4/25 ए0 एक्ट थाना इकोटेक 03 जिला गौतमबुद्धनगर

## बरामदगी का विवरण:

01 अवैध चाकू ( रक्त लगा हुआ )



## 6-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2022 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/22 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत हत्या के अभियोग में आरोपी वांछित अभियुक्त इसलाम पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम मंडपा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

## विवरण-

दिनांक 03.06.22 को प्रार्थी अनवर खान पुत्र श्री तस्सुवर ग्राम मण्डपा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर का धेवता जुनैद पुत्र श्री मारुफ उम्र तकरीबन 11 वर्ष निवासी कल्छिना थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद ग्राम मण्डपा आया हुआ था सांय 5.30 बजे जुनैद घर से बाहर खेलने गया था लेकिन काफी देर तक घर न आने के कारण जुनैद को तलाश किया गया तो ग्राम बाहर बम्बे मे रात्रि करीब 9.30 बजे उसका शव मिला, जिस सम्बन्ध में हत्या की आशंका पर वादी की तहरीर के आधार थाना हाजा पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 302,201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था ।

अभियोग मे कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.07.2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना दनकौर पुलिस द्वारा मण्डी श्याम नगर पुल के पास से मुकदमें में नामित अभियुक्त राशिद पुत्र वसारत नि0 आसिफाबाद चंदपुरा थाना गुलावटी बुलन्दशहर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

## अभियुक्त का विवरण:

इसलाम पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम मण्डपा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

## पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 216/22 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 158/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 407/17 धारा 135ए उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0सं0 588/19 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0सं0 591/19 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

**#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार डीसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अवैध रूप से चल रहे ऑटो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 50 ऑटो सीज किये गये।**

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डीसीपी ट्रैफिक यातायात पुलिस कर्मियों को कमिश्नर में अवैध रूप से चल रहे वाहनों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु लगातार अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 02.08.2022 को पुलिस उपायुक्त यातायात के नेतृत्व के यातायात पुलिस व गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा छिजारसी व मॉडल टाउन में अवैध रूप से चल रहे ऑटो एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिसमें यातायात नियमों/अवैध रूप से चल रहे 50 ऑटो को सीज कर कार्यवाही की गयी। इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी।

